मध्य प्रदेश शासन
वित्त विभाग
वल्लभ भवन-मंत्रालय-भोपाल

क्रमांकः एफ।।-2/2011/नियम/चार भोपाल, दिनांक 31 मई, 2011

प्रति,

शासन के समस्त विभाग
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, ग्वालियर
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त कमिश्नर
समस्त कलेक्टर
मध्यप्रदेश ।

विषय - शासकीय सेवकों से बकाया वसूली के संबंध में -किश्तों का निर्धारण .

--***--

राज्य शासन के ध्यान में आया है कि कतिपय मामलों में शासकीय सेवकों से वसूली योग्य राशि इस कारण लंबित बनी रहती है क्योंकि सक्षम अधिकारी के द्वारा देय किश्तों की संख्या एवं किश्त की राशि की गणना के आदेश नहीं दिए गए है । इसके कारण जहां एक ओर राज्य के कोष में राशि विलंब से जमा होती है वहीं दूसरी ओर शासकीय सेवक के सेवा निवृत्ति लाभ आदि के भुगतान में विलंब होता है । अतः शासन को देय राशि की वसूली के संबंध में निम्नानुसार निर्देश जारी किये जाते है :-

(i) शासन की समस्त वसूली योग्य राशि 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ वसूल की जाएगी । ब्याज की राशि की गणना सामान्य भविष्य निधि की भांति प्रत्येक वर्ष के अन्त में Compounding करते हुये की जावेगी । ब्याज की गणना शासन को पहुँची हानि की तिथि से प्रारम्भ होकर वसूली की अंतिम किश्त के भुगतान के दिनांक तक की जाएगी ।

(ii) शासकीय बकाया की वसूली देय राशि के निर्धारण के तत्काल पश्चात् के मासिक वेतन के बिल से सकल वेतन (Basic Pay + Grade Pay + D.A.) के 1/3 भाग की दर से स्वतः शुरू हो जाएगी एवं तब तक जारी रहेगी, जब तक ब्याज सहित पूर्ण राशि की वूसली नहीं हो जाती । शासकीय सेवक पर ब्याज का भार कम करने के उद्देश्य से शासकीय सेवक को देय अन्य स्वत्व जैसे वेतन/भत्तों के एरियर्स, मानदेय आदि से भी बकाया की वसूली की जानी चाहिए। कार्यालय प्रमुख के लिए यह आवश्यक होगा कि वसूली की राशि के निर्धारण के पश्चात् 10 दिन की समयावधि में शासकीय सेवक से वसूली के आदेश जारी करें ।

(iii) बकाया की वसूली इस आधार पर स्थगित नहीं की जाना चाहिए कि संबंधित शासकीय सेवक के द्वारा इस संबंध में सक्षम अधिकारी को अपील की गई है, जो अभी निर्णय हेतु लंबित है। जब तक ऐसी किसी कार्यवाही में वसूली पर स्थगन आदेश नहीं हो, वसूली कंडिका (2) में निर्धारित प्रक्रिया अनुसार जारी रहेगी ।

(iv) शासकीय सेवक से शासकीय बकाया एवं ब्याज की वसूली के लिए कार्यालय प्रमुख, जिन कार्यालयों में संबंधित शासकीय सेवक कार्यरत हैं, पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगें । यदि उपरोक्त निर्देशों के पालन में लापरवाही की जाती है, तो संबंधित कार्यालय प्रमुख से वसूली में हुए विलंब की अवधि के लिए वूसली योग्य राशि पर 12 प्रतिशत ब्याज की दर से क्षतिपूर्ति वसूल की जाएगी । ब्याज की राशि की गणना सामान्य भविष्य निधि की भांति प्रत्येक वर्ष के अन्त में Compounding करते हुये की जावेगी ।

(v) प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ होने की स्थिति में संबंधित शासकीय सेवक की बकाया के लिये बाह्य नियोक्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी रहेगें। ऐसे शासकीय सेवक जिनसे शासकीय बकाया की वसूली हो रही है, को प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ करते समय संबंधित शासकीय सेवक के नियुक्तिकर्ता अधिकारी का दायित्व होगा कि वह इस वसूली की संम्पूर्ण जानकारी बाह्य नियोक्ता को दे।

(vi) यदि वसूली की किश्तों की पूर्ण वसूली के पूर्व ही शासकीय सेवक की मृत्यु हो जाती है, तो शेष राशि उसके परिवार को देय स्वत्वों से वसूली योग्य होगी । यदि ऐसे शासकीय सेवक द्वारा सेवा से त्यागपत्र दिया जाता है, तो त्यागपत्र स्वीकृत करने के पूर्व इस पर देय बकाया राशि (पूर्ण ब्याज सहित) वसूल की जाएगी । शासकीय सेवक की सेवानिवृत्ति के मामलों में बकाया राशि की वसूली पेंशनरी लाभों से की जाएगी ।

(vii) उपरोक्त आदेश सक्षम अधिकारियों द्वारा आदेशित वसूली योग्य राशियों के अतिरिक्त ऐसे सभी अग्रिम पर भी लागू होगें जिनका समायोजन उक्त अग्रिम के उपयोग हेतु निर्धारित समयावधि में नहीं हो पाता है । ऐसे समस्त अग्रिमों का जिनके लिए कोई निश्चित समयावधि निर्धारित नहीं है, राशि के आहरण की तिथि के 3 माह की अवधि में समायोजित करना आवश्यक होगा एवं उसके उपरान्त उक्त राशि इस ज्ञापन के अंतर्गत वसूली योग्य राशि में शामिल मानते हुये वसूली की कार्यवाही प्रारम्भ की जावेगी ।

2/ उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जावे ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(जी.पी. सिंघल)
प्रमुख सचिव
मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग

Sunita/Niyam/Paripatra/2011
5/28/2011

पृष्ठा.क्रमांक : एफ 11-2/2011/नियम/चार भोपाल, दिनांक 31 मई, 2011

प्रतिलिपिः-

1. राज्यपाल मध्यप्रदेश के सचिव, राजभवन भोपाल
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश, विधानसभा, भोपाल
3. निबंधक, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर
4. सचिव, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री सचिवालय, भोपाल
5. सचिव, लोक सेवा आयोग, इंदौर
6. सचिव, लोक आयुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल
7. निज सचिव/निज सहायक मंत्री/राज्यमंत्री, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल
8. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश, भोपाल
9. सचिव राज्य निर्वाचन आयोग, मध्यप्रदेश, भोपाल
10. रजिस्ट्रार, मध्यप्रदेश राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण भोपाल/जबलपुर/इंदौर/ग्वालियर ।
11. महाधिवक्ता/उप महाधिवक्ता, मध्यप्रदेश भोपाल/इंदौर/ग्वालियर ।
12. महालेखाकार (लेखा और हकदारी /(आडिट)-1/2 मध्यप्रदेश ग्वालियर/ भोपाल ।
13. अध्यक्ष व्यावसायिक परीक्षा मंडल /माध्यमिक शिक्षा मंडल, मध्यप्रदेश भोपाल ।
14. प्रमुख सचिव/सचिव /उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल
15. आयुक्त कोष एवं लेखा, मध्यप्रदेश
16. आयुक्त, जनसम्पर्क संचालनालय, मध्यप्रदेश भोपाल
17. नियंत्रक शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल की और राजपत्र में प्रकाशन के लिए,
18. अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग (स्थापना शाखा/अधीक्षण शाखा/अभिलेख/मुख्य लेखाधिकारी) मंत्रालय, भोपाल
19. मुख्य सचिव के स्टाफ आफिसर मंत्रालय, भोपाल
20. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन मध्यप्रदेश
21. सभी प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, मध्यप्रदेश
22. संयुक्त संचालक, जनसंपर्क प्रकोष्ठ, मंत्रालय, भोपाल
23. अध्यक्ष, मध्यप्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण समिति कक्ष-84, मंत्रालय, भोपाल
24. अध्यक्ष, शासन के समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संगठन / संघों
25. सभी कोषालय अधिकारी /उप कोषालय अधिकारी
26. गार्ड फाईल

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही के लिये अग्रेषित ।

(डी..के. सक्सैना)
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग